

## न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ।

प्रभारी सम्बन्धी आदेश।

माह जुलाई वर्ष 2022 से पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में, कॉलम संख्या 01 में अंकित न्यायालय के प्रभारी अधिकारी/लिंक अधिकारी, कॉलम संख्या 02 में वर्णित प्रभारी अधिकारी/लिंक अधिकारी होंगे।

कॉलम संख्या 01	कॉलम संख्या 02
सी.जे.एम, मेरठ।	स्पेशल सी.जे.एम. मेरठ।
स्प० सी.जे.एम, मेरठ।	ए.सी.जे.एम. न्या० सं०१ मेरठ।
ए.सी.जे.एम.१, मेरठ।	ए.सी.जे.एम.न्या० सं०२, मेरठ।
ए.सी.जे.एम २, मेरठ।	ए.सी.जे.एम, न्या० सं०३, मेरठ।
ए.सी.जे.एम. न्या० सं०३, मेरठ।	ए.सी.जे.एम. न्या० सं०४, मेरठ।
ए.सी.जे.एम. न्या०सं०४, मेरठ।	ए.सी.जे.एम. न्या०सं०५, मेरठ।
ए.सी.जे.एम. न्या०सं००५, मेरठ।	ए.सी.जे.एम. न्या०सं०६, मेरठ।
ए.सी.जे.एम. न्या०सं०६, मेरठ।	ए.सी.जे.एम. न्या०सं०७, मेरठ।
ए.सी.जे.एम. न्या०सं०७, मेरठ।	ए.सी.जे.एम. न्या०सं०८, मेरठ।
ए.सी.जे.एम न्या०सं०८, मेरठ।	ए.सी.जे.एम. न्या०सं०९, मेरठ।
ए.सी.जे.एम. न्या०सं०९ मेरठ।	ए.सी.जे.एम. न्या०सं०१०, मेरठ।
ए.सी.जे.एम. न्या०सं०१० मेरठ।	ए.सी.जे. (सी०डि०), न्या० सं०३, मेरठ।
ए.सी.जे. (सी०डि०), न्या० सं०३, मेरठ।	ए.सी.जे. (सी०डि०), न्या० सं०४, मेरठ।
ए.सी.जे. (सी०डि०), न्या० सं०४, मेरठ।	ए.सी.जे. (सी०डि०), न्या० सं०५, मेरठ।
ए.सी.जे. (सी०डि०), न्या० सं०५, मेरठ।	ए.सी.जे. (सी०डि०), न्या० सं०६, मेरठ।
ए.सी.जे. (सी०डि०), न्या० सं०६, मेरठ।	ए.सी.जे. (सी०डि०), न्या० सं०७, मेरठ।
ए.सी.जे. (सी०डि०), न्या० सं०७, मेरठ।	सी. <u>जे०(सी० डी०)</u> / त्वरित न्या०, मेरठ।
सी.जे. (सी० डि०) / त्वरित न्यायालय, मेरठ।	जे० एम० न्या० सं०१, मेरठ।
जे.एम. न्या०सं०१, मेरठ।	जे.एम. न्या०सं०२, मेरठ।
जे.एम. न्या०सं०२, मेरठ।	जे.एम. न्या०सं०३, मेरठ।
जे.एम.न्या०सं०३, मेरठ।	ए० सी० जे० (जे० डी०) न्या० सं०१, मेरठ।
ए.सी.जे. (जू०डि०), न्या०सं०१, मेरठ	ए.सी.जे. (जू०डि०), न्या०सं०२, मेरठ।
ए.सी.जे. (जू०डि०), न्या०सं०२, मेरठ।	ए.सी.जे. (जू०डि०), न्या०सं०३, मेरठ।
ए.सी.जे. (जू०डि०), न्या०सं०३, मेरठ।	ए.सी.जे. (जू०डि०)न्या०सं०४, मेरठ।
ए.सी.जे. (जू०डि०), न्या०सं०४, मेरठ।	ए.सी.जे. (जू०डि०) न्या०सं०५, मेरठ।
ए.सी.जे. (जू०डि०) न्या०सं०५, मेरठ।	सी० जे०, (जू० डि०) / त्वरित न्या०, मेरठ।
सी० जे०, (जू० डि०) / त्वरित न्या०, मेरठ।	सी० जे०, (जू०डि०) / त्वरित न्या० / सी.ए. डब्लू. मेरठ।
सी० जे०, (जू०डि०) / त्वरित न्या० / सी.ए. डब्लू. मेरठ।	ए० सी० जे० (जू० डि०) न्या० सं०१, मेरठ।
विशेष न्यायाधीश (धारा 138 पराकम्य अधिनियम से सम्बन्धित वाद)	ए. सी.जे.एम. न्या० सं०५, मेरठ।
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, १, मेरठ।	ए.सी.जे.एम. न्या०सं०३, मेरठ।

विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, 2, मेरठ	ए.सी.जे.एम. न्या०सं०३ मेरठ
जे० एम० मवाना, मेरठ	स्प० सी० जे० एम० मेरठ
जे० एम० सरधना, मेरठ	ए० सी० जे० एम० न्या० सं० 5, मेरठ

न्यायालय रिक्त होने की दशा में, अगले क्रम में वर्णित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, प्रभारी अधिकारी/लिंक अधिकारी, होंगे।

उपरोक्त व्यवस्था आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, मेरठ के अनुमोदन के उपरांत प्रभावी होगा।

सम्बन्धित सूचित हो।

**दिनांक 13.07.2022**

(देवेन्द्र नाथ गोस्वामी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ |

प्रतिलिपि—

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ को सूचनार्थ प्रेशित।
2. वरिश्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को सूचनार्थ प्रेशित।
3. संबंधित सभी न्यायालयों को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेशित।
4. संयुक्त निदेशक, अभियोजन को सूचनार्थ प्रेशित।
5. कारागार अधीक्षक, जिला कारागार मेरठ को सूचनार्थ प्रेशित।
6. अध्यक्ष, मेरठ बार एसोसिएशन, मेरठ।
7. अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन, मेरठ।

**दिनांक 13.07.2022**

(देवेन्द्र नाथ गोस्वामी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ |